

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/प्रधाना-स्था/2018 दिनांक 01.06.2018 द्वारा श्री बनवारी लाल महरिया प्रधानाचार्य सेठ जवाहरमल मोदी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उदयपुरवाटी झुन्झुनु का स्थानान्तरण राउमावि-जालनियासर नागौर किया गया था जिसके विरुद्ध श्री बनवारी लाल द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण में अपील संख्या 949/2018 बनवारी लाल महरिया बनाम सरकार दायर की गई जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 19.06.18 द्वारा स्थगन आदेश पारित कर प्रार्थी को राज्य हित में योगकाल एवं यात्रा भत्ता अनुज्ञेय करते हुए स्थानान्तरण की स्वतन्त्रता प्रदान की थी जिसके अनुरूप प्रार्थी को राज्य हित में विभागीय आदेश दिनांक 10.07.2018 द्वारा राउमावि-खडकली खीवसर, नागौर स्थानान्तरित किया गया।

प्रार्थी श्री महरिया द्वारा उक्त स्थानान्तरण आदेश दिनांक 10.07.2018 के विरुद्ध माननीय सिविल सेवा अपील अधिकरण में एक अन्य अपील सं 2577/2018 बनवारी लाल महरिया बनाम राजस्थान सरकार व अन्य दायर की गई जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 26.07.2018 द्वारा विभागीय स्थानान्तरण आदेश दिनांक 10.07.2018 का क्रियान्वयन अपीलार्थी श्री बनवारी लाल महरिया के पदस्थापन के सम्बन्ध में माननीय अधिकरण की आगामी सुनवाई तक स्थगित किया है।

अतः माननीय अपील अधिकरण द्वारा पारित आदेश की पालना में श्री बनवारी लाल महरिया माननीय अधिकरण की आगामी सुनवाई तक सेठ जवाहरमल मोदी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पर यथावत कार्यरत रहेंगे एवं श्री सुमेर सिंह का स्थानान्तरण माननीय अधिकरण की आगामी सुनवाई तक माननीय अधिकरण के निर्णयाधीन राउमावि-खडकली, खीवसर नागौर किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश की पालना में दिनांक 03.08.18 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण कर कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की सूचना शाला दर्पण पोर्टल पर इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित करें।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक 01.08.18

क्रमांक:-शिविरा-मा./संस्था/बी-2/अपील/बनवारी लाल/2577/2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. सम्बन्धित उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, झुन्झुनु को पाबन्द कर निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश की पालना सुनिश्चित करावें।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक शिक्षा-जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सम्बन्धित कार्मिकों को आदेश की पालनार्थ।
7. निजी/रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/प्रधाना. स्था/2018 दिनांक 19.06.2018 द्वारा श्री तेजाराम पुरोहित प्रधानाचार्य राआउमावि-अखराड जिला जालौर का स्थानान्तरण राआउमावि-डीगांव, जालौर किया गया था जिसके विरुद्ध श्री पुरोहित द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील सं. 1894/2018 तेजाराम पुरोहित बनाम श्रीमान निदेशक, माध्यमिक शिक्षा दायर की गई।

अपील सं. 1894/2018 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.07.2018 द्वारा अपीलार्थी श्री तेजाराम पुरोहित के सम्बन्ध में जारी विभागीय स्थानान्तरण आदेश दिनांक 19.06.2018 को अनियमित एवं विधि विरुद्ध बताते हुए अपीलार्थी श्री तेजाराम की सीमा तक एतद्वारा अपास्त किया है।

अतः माननीय अधिकरण के आदेश की अनुपालना में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 19.06.2018 को अपीलार्थी श्री तेजाराम की हद तक एतद्वारा निरस्त किया जाता है।


(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा./संस्था/बी-2/अपील/तेजाराम पुरोहित/1894/2018


दिनांक: 03.08.18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. सम्बन्धित उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, जालौर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक शिक्षा-जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सम्बन्धित कार्मिकों को आदेश की पालनार्थ।
7. निजी/रक्षित पत्रावली।

8 सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा को

विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ में दायर याचिका संख्या 11704/2018 श्री हनुमान सहाय यादव बनाम सरकार व अन्य में माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक:- 29.05.18 के द्वारा विभागीय आदेश दिनांक 24.05.18 का क्रियान्वयन याचिका के आगामी सुनवाई तक स्थगित किया जाने कारण याचिका में दिए जाने वाले आगामी/अन्तिम आदेश के अध्यक्षीन श्री हनुमान सहाय यादव प्रधानाचार्य को राआउमावि श्यामपुरा-आमेर जयपुर में एवं नन्धूराम फागडा प्रधानाचार्य को राउमावि हथवाडी धौलपुर में राज्य/छात्र हित अंतर्गत पदस्थापित किया जाता है।




(नथमल डिडेल)

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक- शिविरा/मा/संस्था/कोर्ट केस/बी-2/याचिका-11704/2018 दिनांक- 08/08/2018
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत -

- 1 उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राज. जयपुर
- 2 सिस्टम एनालिस्ट कम संयुक्त निदेशक, कार्यालय हाजा को सम्बन्धित पृष्ठांकितों को ईमेल हेतु ।
- 3 संबधित शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक)
- 4 संबधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-1/II) जयपुर/धौलपुर को पाबन्द किया जाता है कि उक्त आदेश के क्रियान्वयन की कार्यवाही करा अवगत करावे ।
- 5 जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक विधि) जयपुर
- 6 अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग कार्यालय हाजा
- 7 संबधित संस्था प्रधान
- 8 संबधित अधिकारी
- 9 रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक(कामिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर